

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

क्रमांक. वि.स. 22/Exam/Sr. Teach. (Sec. Edu.)/RPSC/EP-I/2024-25

दिनांक : 11.12.2024

आयोग द्वारा मध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2021 एवं अनुसूचित क्षेत्र हेतु राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, लिपिकदर्तीय और संतुर्बं श्रेणी सेवा (मर्ती एवं सेवा की अन्य शर्त) नियम, 2014 के अंतर्गत वरिष्ठ अध्यापक (SENIOR TEACHER) के निम्नलिखित 8 विषयों में बूल 2129 पदों पर मर्ती हेतु औनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद स्थाई हैं एवं विभाग से प्राप्त विषयवार रिक्त पदों (पदों की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है) निम्नानुसार हैं:-

क्र.सं.	विषय	गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु पद	अनुसूचित क्षेत्र हेतु पद	कुल पद
01	हिन्दी	273	15	288
02	अंग्रेजी	242	85	327
03	गणित	539	155	694
04	विज्ञान	261	89	350
05	सामाजिक विज्ञान	70	18	88
06	संस्कृत	276	33	309
07	पंजाबी	64	0	64
08	उर्दू	2	7	9
	योग	1727	402	2129

नोट :-

अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र की वर्गीकरण पृष्ठक से आयोग द्वारा शीघ्र जारी कर दिया जायेगा।

विशेष नोट :-

- अनुसूचित क्षेत्र के अन्यथी गैर अनुसूचित क्षेत्र की विकासी के विस्तृत भी आवेदन कर सकते हैं। इसलिए अनुसूचित क्षेत्र के निवासित अन्यथी अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र के पदों के बीच के वर्ती के विकास के लिए गैर अनुसूचित क्षेत्र के अन्यथी ही औनलाइन आवेदन में भर्ती, अन्यथा उन्हें अनुसूचित क्षेत्र हेतु आरक्षित पदों के विकास लाभ देय नहीं होगा। अनुसूचित क्षेत्र के लिए आवेदन करते हैं तो वे अपार होते हैं। अनुसूचित क्षेत्र के लिए आवेदन करने वाले अन्यथी की अनुसूचित क्षेत्र में निवासित होने का प्रमाण पत्र यथासमय आवेदन कर्त्त्वात् द्वारा भागे जाने पर प्रत्युत करना होगा।
- दियाँगी - यदि अनुसूचित क्षेत्र के अन्यथी अनुसूचित क्षेत्र में ही कार्य/सेवा करना चाहते हैं तो आशयक रूप से अनुसूचित क्षेत्र की प्राविधिकता देवे।
- यदि अन्यथी एक से अधिक विषय हेतु आवेदन करना चाहता है तो उसे प्रत्येक पद के लिए पृष्ठक-पृष्ठक औनलाइन आवेदन-पत्र प्रत्युत करना होगा।

नोट :-

- कार्मिक (क-2) विभाग की अधिकृतना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जनजातियों एवं कार्मिक (क-2) विभाग की अधिकृतना दिनांक 28.07.2023 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए पिछड़े वर्गों और व्यासिति अति पिछड़े वर्गों के पात्र तथा समाजिक पश्चात् ऐसी अग्रनीत की गई विविधता सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भर्ती जारी नहीं परन्तु यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है, तो ऐसे भर्ती वर्ष को इसनियम के प्रयोगन के लिए समर्पित नहीं किया जायेगा परन्तु यह और कि इस उप-नियम के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आवारित पिछड़े वर्गों और व्यासिति अति पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिए ऐसी रिक्ति पश्चात्वर्ती वर्गों में उपलब्ध हो।
- राजस्थान राज्य के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (E.W.S.) के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अन्यथी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जायेगा।
- किसी वर्ष विशेष में या तो विषया या विज्ञान विद्याः/परिष्कृता/तलाकशुदा महिलाओं में से किसी में पात्र और उपयुक्त अन्यथियों के उपलब्ध न होने की दशा में विकासी को प्रवर्त्तता अन्तर्वर्ती द्वारा, अर्थात् विकासी के लिए आरक्षित विकासी को प्रविधिन विद्याः/परिष्कृता/तलाकशुदा महिलाओं से या इसके विपरीत (Vice Versa) के लिए आरक्षित विकासी से भरा जा सकेगा। पर्याप्त रूप से विषया और विज्ञान विद्याः/परिष्कृता/तलाकशुदा महिलाओं के उपलब्ध न होने की दशा में न मरी गई उपलब्धता उपर्युक्त महिला अन्यथियों के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित विकासी उपर्युक्त विकासी के लिए इस प्रकार आरक्षित विकासी उपर्युक्त विकासी की जारी नहीं की जायेगी। विषयाओं और विज्ञान विद्याः/परिष्कृता/तलाकशुदा महिलाओं सहित, महिलाओं के लिए आशयक को प्रवर्त्तता की विकासी के भीतर विकासी को प्रवर्त्तता की विकासी के भीतर विकासी की जारी नहीं की जायेगी।
- प्रावित सामयिक विभाग ने विशेष विषय के लिए विशेष वर्ग के आशयक लीटिज (Horizontal) है अर्थात् अन्यथी जिस वर्ग का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जायेगा।
- राजस्थान विविल सेवा (भूतपूर्व सेनिकों का आगमन) नियम, 1988 के अनुसार भूतपूर्व सेनिकों के लिए रिक्तियों का आशयक सीधी भर्ती में प्रवर्गावर हीटिज (Categorywise-Horizontal) होगा। किसी वर्ष विशेष में पात्र और उपयुक्त भूतपूर्व सेनिकों की अनुपलब्धता या की दशा में, उनके लिए इस प्रकार आरक्षित विकासी सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी और विकासी की विकासी के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित विकासी उपर्युक्त विकासी की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से भरी नहीं जा सकी हो, तो ऐसी रिक्ति आगामी नवी वर्ष में अपनीत की जायेगी और यदि आगामी भर्ती वर्ष में भी उपलब्ध विकासी की अनुपलब्धता नहीं होती है, तो उसे प्रवर्त्तता की नियांसिरित विभिन्न विकासी में अनारपरिवर्तन (Interchange) कर भरा जायेगा। यदि उस वर्ग में भी कोई नियांसिरित विकासी उपलब्ध नहीं होता है तो उस वर्ग के आशयक लीटिज (Horizontal) होगा।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आरक्षित रूप से कमज़ोर वर्ग एवं भूतपूर्व सेनिकों के लिए रिक्तियों का आशयक सीधी भर्ती में प्रवर्गावर हीटिज (Categorywise-Horizontal) होगा। किसी वर्ष विशेष में पात्र और उपयुक्त भूतपूर्व सेनिकों की अनुपलब्धता या की दशा में, उनके लिए इस प्रकार आरक्षित विकासी सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी और विकासी की विकासी के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित विकासी उपर्युक्त विकासी की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से भरी नहीं जा सकी हो, तो ऐसी रिक्ति आगामी नवी वर्ष में भी उपलब्ध विकासी की अनुपलब्धता नहीं होती है, तो उसे प्रवर्त्तता की नियांसिरित विभिन्न विकासी में अनारपरिवर्तन (Interchange) कर भरा जायेगा। यदि उस वर्ग में भी कोई नियांसिरित विकासी उपलब्ध नहीं होता है तो उस वर्ग के आशयक लीटिज (Horizontal) होगा।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आरक्षित रूप से कमज़ोर वर्ग एवं भूतपूर्व सेनिकों के लिए रिक्तियों का आशयक सीधी भर्ती में प्रवर्गावर हीटिज (Categorywise-Horizontal) होगा। किसी वर्ष विशेष में पात्र और उपयुक्त भूतपूर्व सेनिकों की अनुपलब्धता या की दशा में, उनके लिए इस प्रकार आरक्षित विकासी सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी और विकासी की विकासी के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित विकासी उपर्युक्त विकासी की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से भरी नहीं जा सकी हो, तो ऐसी रिक्ति आगामी नवी वर्ष में भी उपलब्ध विकासी की अनुपलब्धता नहीं होती है, तो उसे प्रवर्त्तता की नियांसिरित विभिन्न विकासी में अनारपरिवर्तन (Interchange) कर भरा जायेगा। यदि उस वर्ग में भी कोई नियांसिरित विकासी उपलब्ध नहीं होता है तो उस वर्ग के आशयक लीटिज (Horizontal) होगा।
- कार्मिक विभाग की अधिकृतना दिनांक 15.03.2013 एवं 21.11.2019 के अनुसार ही उत्कृष्ट विकासी की प्रत्यक्षा रखने वाले अन्यथियों को आशयक का लाभ देय होगा। यदि विषयां द्वारा आयोग द्वारा जारी की जाए जाती है "यदि विषयां 01 से 08 तक के प्राक्काल संबंधित वर्ग के अंतर्गत पद आरक्षित होने की स्थिति में हो जाएं तो उनके लिए विषयां 01 से 08 तक के प्राक्काल संबंधित वर्ग के अंतर्गत पद आरक्षित होने की स्थिति में हो जाएं।"

अनेकार्य शैक्षणिक योग्यताएः :

- (1)हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू एवं पंजाबी विषय के लिये) – Graduate or equivalent examination recognized by UGC with concerned subject as Optional Subject, and Degree or Diploma in Education recognized by the National Council of Teacher Education/Government.

(विज्ञान विषय के लिये) – Graduate or equivalent examination recognized by UGC with at least two of the following subjects as Optional Subjects :- Physics, Chemistry, Zoology, Botany, Micro-Biology, Bio-Technology and Bio-Chemistry and Degree or Diploma in Education recognized by the National Council of Teacher Education/Government.

(सामाजिक विज्ञान विषय के लिये) – Graduate or equivalent examination recognized by UGC with at least two of the following subjects as Optional Subjects:-History, Geography, Economics, Political Science, Sociology, Public Administration and Philosophy, and Degree or Diploma in education recognized by the National Council of Teacher Education/Government.

- (2) Working knowledge of Hindi written in Devnagari Script and knowledge of Rajasthani culture.

Note: 1. अन्यथी को विकासी शैक्षणिक अहंता (शैक्षणिक योग्यता, अनुमत व आयु इत्यादि) होने पर ही Online आवेदन करना चाहिये तथा प्रत्यक्षी आवेदन रखने के लिए विकासी विकासी को प्रत्याहारित (Withdrawal) करने का विकल्प उपलब्ध होगा।
2. असत्य एवं गलत सूचना के आधार पर आवेदन करना तथा अहंता नहीं होने पर भी उसे प्रत्याहारित (Withdrawal) नहीं किया जाना नारतीय व्याय सहित (BNS) की धारा 217 के तात्पत् दण्डनीय अपराध है। ऐसे अन्यथी को कालान्तर में काउन्सिलिंग/पात्रता जांच/स्वाक्षरताकार के दौरान अपात्र पाये जाने पर आवेदन करना होगा।

शैक्षणिक अहंता संबंधी प्रावधान	पद की अपेक्षित शैक्षणिक अहंता के अंतिम वर्ग की परीक्षा में सम्पन्नित हो चुका या सम्मिलित हो रहा है, वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए वात्र होगा, किन्तु उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अहंता अंजित करने का समूह देना होगा।
वेतन का रैमिंग पै-हैप्प	पै-मैट्रिक्स लेवल I-11 (Grade Pay -4200/-) नोट :- राज्य सरकार के नियमानुसार परिवेशकाल में नियमानुसिक वेतन (Fix Pay) देय होगा।

आयु सीमा	दिनांक 01.01.2026 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष तक यम होनी चाहिये। नोट :- उक्त पद आयोग द्वारा वर्ष 2022 में विज्ञापित किये गये थे जिसके तहत आयु की गणना का आधार 01.01.2023 रखा गया था। उत्प्रश्नात् उक्त पदों हेतु कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया। अतः जो अन्यथा दिनांक 01.01.2026 को अधिकायु के होते हैं, उन्हें नियमों में विडित प्राक्काननुसार अधिकतम आयु सीमा में दो वर्ष की अतिरिक्त छूट देय होगी।	विज्ञापित पदों के अनुरूप दराये गये आवधित पदों के छूट विभिन्न वर्ग/ अन्य विशेष श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट के प्राक्कान
क्र.सं.	अधिकायित वर्ग का वर्ग एवं अन्य विशेष श्रेणियाँ	अधिकतम आयु में देय छूट
1.	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग/ आधिक रूप से कमज़ोर वर्ग के पुरुष Male Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, More Backward Classes and Economically Weaker Sections of Rajasthan State	5 वर्ष Five Years
2.	राजस्थान की अनुसूचित जारी, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा/ आधिक रूप से कमज़ोर वर्ग की महिला Women Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, More Backward Classes and Economically Weaker Sections of Rajasthan State	10 वर्ष Ten Years
3.	सामान्य (अनारक्षित) वर्ग की महिला Women Candidates belonging to General Category	5 वर्ष Five Years
4.	विधवा एवं विचिन्न विवाह (परिवर्तका) महिला Explanation :- In the case of a widow, she will have to furnish a certificate of death of her husband from the Competent Authority and in case of divorcee, she will have to furnish proof of divorce.	अधिकतम आयु सीमा नहीं
5.	उपर्युक्त उच्चतम आयु सीमा उस भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी जो दाखिलिये से पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर Substantive रौप्य पर सेवा कर चुका था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति के पात्र था। The upper age limit mentioned above shall not apply in the case of an ex-prisoner who had served under the Government on a substantive basis on any post before his/her conviction and was eligible for appointment under these Rules.	
6.	उस भूतपूर्व कैदी के मामले में जो अपनी दाखिलिये के पूर्व अधिकायु नहीं था और नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र था, उपरिवर्णित अधिकतम आयु सीमा में उसको द्वारा भूतपूर्व कालावास की कालावास की अपायि की छूट दी जाएगी। The upper age limit mentioned above shall be relaxed by a period equal to the term of imprisonment served in the case of other ex-prisoners who was not over age before his conviction and was eligible for appointment under these Rules.	
7.	कैडेट इन्स्ट्रक्टर्स के मामले में उसका ही छूट होगा जितनी सेवा उन्होंने एक सीधी में की होगी बर्ताव परिणामित आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होपाएं तो उन्हें नियापरित आयु सीमा में ही समझा जावेगा। The upper age limit mentioned above shall be relaxed by a period equal to the service rendered in the N.C.C. in the case of Cadet Instructors, if the resultant age does not exceed the prescribed maximum age limit by more than three years, they shall be deemed to be within the prescribed age limit.	
8.	राज्य, पंचायत समितियों तथा परिषदों के कारोबार में Substantive रूप से कार्यरत व्यक्तियों को लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी। The upper age limit for persons serving in connection with the affairs of the State, Panchayat Samities and Zila Parishads and in the State Public Sector Undertaking/Corporations in substantive capacity shall be 40 years.	
9.	निर्मुक्त हुए आरामकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों और लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को सेवा से नियुक्त होने के पश्चात आयु सीमा में ही समझा जाएगा। यह उन्होंने आयोग के समक्ष उपरिवर्त्य होने के समय आयु सीमा पार कर तो ही यशस्वि कि वे सेवा में कमीशन प्राप्त होने के समय आयु सीमा की दृष्टि से पात्र थे। The Released Emergency Commissioned Officers and Short Service Commissioned Officers after release from the Army shall be deemed to be within the age limit even though they have crossed the age limit when they appear before the Commission, Board or Appointing Authority, as the case may be, had they been eligible as such at the time of their joining the Commission in the Army.	
10.	इस सेवा के किसी पद पर अस्थाय नियुक्त अगर प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में समझा जावेगा वह वे आयोग के समक्ष अधिकारी उपरिवर्त्य के समय उसे पार कर चुके हों और पद वे उनकी प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें वो अवसर दिये जावेगे। The persons appointed temporarily to a post in the Service shall be deemed to be within the age-limit, if they were within the age limit when they were initially appointed even though they have crossed the age-limit when they appear finally before the Commission/Board/Appointing Authority and shall be allowed up to two chances had they been eligible as such, at the time of their initial appointment.	
11.	राजस्थान रिक्विल सेवा (भूतपूर्व सेनिकों का अगेलन) नियम, 1988 के अनुसार भूतपूर्व सेनिकों के अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट देय होगी परन्तु इन नियमों को अधीन रिक्विलर्स के पश्चात् यदि अनुदोष आयु 50 वर्ष से अधिक नियुक्ति हो तो उपर्युक्त आयु सीमा 50 वर्ष लागू होगी किन्तु सीधी भर्ती की दशा में जहां निम्नतम पद का अनुमत अनिवार्य है वह 55 वर्ष की अधिकतम उपर्युक्त आयु सीमा लागू होगी। According to the Rajasthan Civil Services (Absorption of Ex-servicemen) Rules 1988, relaxation in upper age limit shall be 15 years for Ex-servicemen; Provided that if permissible age after relaxation under this rule works out to be more than 50 years, then upper age limit of 50 years shall be applicable but in case of direct recruitment, where experience of lower post is essential, the maximum upper age limit of 55 years shall be applicable. स्टाफकर्म — कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 22.8.2019 के अनुसार राजस्थान रिक्विल सेवा (भूतपूर्व सेनिकों का आगेलन) नियम, 1988 प्रायोगिकरित प्राक्कान के होते हुए भी किसी भर्ती से संबंधित सेवा नियमों ने आयु संकेती जो शिविलता अथवा लोक सेवकों/अम्बार्यीयों को देय है, वह भूतपूर्व सेनिक को भी देव होगी अधिक आयु संकेती शिविलता के संबंध में दोनों नियमों में जो भी हितकार प्राक्कान है, उसका लाभ भूतपूर्व सेनिकों को मिलेगा।	
12.	राजस्थान दिव्यागजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार रिक्विलजन व्यक्तियों के लिए कूपर उल्लेखित उपर्युक्त आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट देय होगी। According to the Rajasthan Rights of Persons with Disabilities Rules 2018, the upper age limit mentioned above shall be relaxed by 05 years for persons with benchmark disabilities.	
नोट :-	विभिन्न वर्ग/ अन्य विशेष श्रेणियों हेतु देय आयु सीमा में छूट के उक्त प्राक्कानों जिनमें सामान्य विधियों में अधिकतम आयु सीमा से कम/ तक की आयु सीमा में छूट दी गई हो, उसके ही नियमान्वयी माने जायेंगे।	
नोट -		
1.	उपरोक्त अधिक आयु सीमा में छूट के बिन्दु संख्या 01 से 11 तक के प्राक्कान असमर्थी (Non Cumulative) हैं, अर्थात् अस्थायीयों को उपरोक्त वर्णिती नी एक प्राप्तान्वय का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्राप्तान्वयों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।	
2.	उपर्युक्त बिन्दु संख्या 01 से 11 तक के अनुसार उपर्युक्त आयु सीमा में छूट दिये जाने के पश्चात् बिन्दु संख्या 12 से उल्लेखित प्राक्कान के अनुसार विशेष योग्यजन की उपर्युक्त आयु सीमा में अतिरिक्त छूट देय होगी।	
3.	कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.7.2017 एवं पत्र दिनांक 14.9.2017 व 19.02.2021 के अनुसार लम्बवत् (Vertical) व होरिजन (Horizontal) आकार के अंतर्गत किसी श्रेणी के लिए आराक्षित पदों हेतु यदि किसी अन्यथा द्वारा शुल्क के अतिरिक्त उनको देय किसी अन्य रियायत (ऐसे— आयु सीमा, अंक, फिजिकल किटनेस आदि) का लाभ लिया जाता है तो उसे सामान्य (अनारक्षित) रिक्विलयों के प्रति विधारित नहीं किया जायेगा।	
4.	राजस्थान सेवा नियम के अनुसार सरकारी कमीशनी हेतु सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।	
5.	आयु संकेती व्यक्तियों हेतु आयु सीमा में छूट के प्राक्कान हिन्दी व अंग्रेजी भाषा में अक्षित किये गये हैं। किसी प्रकार के विधिक वाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा में अक्षित प्राक्कान ही मान्य होंगे।	
	अन्य विवरण	
चयन प्रक्रिया	अस्थायीयों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जायेगा। आयोगकालीन पढ़ने पर आयोग द्वारा उत्तरपत्रक/ उत्तरस्पृहितका के मूल्यांकन में इकाइयन/ नोडरेशन/ नॉनलैंजिलेशन (सामान्योक्तान) पद्धति जो अपनाया जा सकेगा। संबंधित सेवा नियम के नियम 28 के अनुसार आयोग द्वारा उपर्युक्त पाये गए अस्थायीयों के नाम साम्य सरकार/ नियुक्ति प्राक्कानी को अनुशासित किए जायेंगे जो लिखित परीक्षा में प्राप्तान्वयों की मेरिट (Merit) के त्रैमासिक व्यापारित होंगे।	
परीक्षा का स्थान एवं माह	परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में यथासमय सूचित किया जायेगा।	
परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम	उक्त पदों से संबंधित सेवा नियम के नियम 22 के अनुसार प्रतियोगी परीक्षा के रूप में आयोजित की जायेगी। उक्त नियम में उल्लेखित परीक्षा योजना के अनुसार परीक्षा वर्तुनिष्ठ रूप में ली जायेगी जिसके सभी प्रबन्ध वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे।” दिसम्बर पाठ्यकाल आयोग की येबलाईट पर पृथक से जारी किया जायेगा।	
आवेदन अवधि	दिनांक 26.12.2024 से दिनांक 24.01.2025 तक 12-00 बजे तक।	
आवेदन प्रक्रिया	1. उक्त पद हेतु ऑफिसियल आवेदन—पत्र भरने से पूर्व सर्वांगीन अस्थायी आयोग की वेबसाइट https://rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध ऑफिसियल आवेदन—पत्र भरने के सम्बन्ध में दिये गये विभागीयों से विवरण एवं संबंधित सेवा नियम का अध्ययन	

	<p>आवश्यक रूप से कर लें। ताकि आवेदन ही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करें। आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध अधिकारी के लिए दिशा-निर्देश (Instructions for Applicants) विज्ञापन का ही भाग /हिस्सा माना जायेगा।</p>						
2.	<p>ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अधिकारी को आयोग की वेबसाइट https://rpse.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध Apply online link को Click कर अथवा एस.एस.ओ (SSO) पोर्टल https://sso.rajasthan.gov.in से Login कर Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन कर One Time Registration (OTR) करना होगा। प्रदूष वार One Time Registration (OTR) करने हेतु अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, संकेषणीय/समकक्ष परीक्षा एवं आधार कार्ड के विवरण का इन्वाज एवं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने अनिवार्य होंगे।</p>						
3.	<p>जिन अधिकारी द्वारा पूर्व में OTR किया जा चुका है, वे अभ्यर्थी एस.एस.ओ. पोर्टल https://sso.rajasthan.gov.in से Login कर Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन कर अपने OTR नंबर/संख्या के आधार पर ऑनलाइन आवेदन करें।</p>						
4.	<p>अभ्यर्थी द्वारा One Time Registration करने के पश्चात OTR Profile में स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, संकेषणीय/समकक्ष परीक्षा का विवरण एवं आधार कार्ड के विवरण में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। अतः OTR करने से पूर्व आधार /SSO प्रोफाइल में अकिञ्चित विवरण का ऐक्षणिक दस्तावेजों में अकिञ्चित प्रविधियों से साक्षातीपूर्वक मिलान सुनिश्चित कर लें। यदि इसमें कोई अन्तर है तो आधार कार्ड / SSO ID की प्रविधियों में आवश्यक संशोधन (Correction) करने के पश्चात ही OTR व ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की कार्यवाही करें।</p> <p>Note: ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड में दर्ज प्रविधि यथा स्वयं का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि व लिंग को जौच/परख ले जावें। यदि आधार कार्ड में लगी हुई फोटो 3 वर्ष या उससे अधिक पुरानी है तो ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व आधार कार्ड में त्रुटिपूर्ण प्रविधि तथा फोटो को अपडेट कर लें ताकि उसी सूचना आवेदन पत्र में दर्ज हो सके तथा परीक्षा आयोजन के समय प्रवेश-पत्र में प्रिंट फोटो का मिलान आधार कार्ड में लगी हुई फोटो से किया जायेगा।</p>						
5.	<p>अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय अपनी लाइन फोटो अपलोड करें। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र Submit करने से पूर्व अपने Live फोटो का Preview देखकर फोटो की सुनिश्चितता करते हुए ऑनलाइन आवेदन पत्र को Submit करें।</p>						
6.	<p>अभ्यर्थी के द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय हस्ताक्षर एवं दीये हाथ की अंगुष्ठा निशानी की स्कैन फोटो अपलोड करना अनिवार्य होगा। परीक्षा आयोजन के दौरान परीक्षा काल में अभियानगती में अभ्यर्थी के द्वारा उपस्थिति पत्र पर पृथक से अमुठा निशानी भी लगाई जायेगी।</p>						
7.	<p>अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन अधिकारी के दीरण की दिनांकित नवीन फोटो परीक्षा केंद्र में उपस्थिति पत्रक पर चाप्या करने हेतु साथ लेकर आये।</p>						
8.	<p>अभ्यर्थी जो श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने के लिये अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में श्रुतलेखक संबंधी विकल्प का अनिवार्य रूप से चयन करना होगा। उक्त विकल्प का चयन नहीं किये जाने पर श्रुतलेखक की सुविधा देय नहीं होगी।</p>						
9.	<p>अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि तक अपिंत की जा चुकी सभी ऐक्षणिक योग्यता/अनुभव का विवरण आवेदन पत्र में स्पष्टतः एवं आवश्यक तौर पर अंकित करे। यदि ऐसी पूर्व में अपिंत ऐक्षणिक योग्यता/अनुभव को आवेदन पत्र में अंकित नहीं किया गया है तो आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात ऐसी योग्यता/अनुभव विचारणीय नहीं होगा। केवल आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात अपिंत ऐक्षणिक योग्यता/अनुभव ही बाद में जोड़े जा सकेंगे।</p>						
10.	<p>आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा और यदि आवेदन-पत्र क्रमांक (Application No.) अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो उसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन-पत्र जाना नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के Preview को आवेदन Submit नहीं माना जायेगा।</p>						
11.	<p>आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करते समय अग्र विशेष प्रकार की कोई समस्या ही तो Recruitment Portal पर दिये गये Helpdesk Number या E-Mail पर सम्पर्क करें।</p>						
12.	<p>आवेदक जिस श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने हेतु पात्र है, उसी श्रेणी में ऑन-लाइन आवेदन करें। गलत सूचना देने/तथ्य छुपाने पर आयोग अभ्यर्थी पर नियमानुसार चार्ज करना होगा।</p>						
13.	<p>साजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग/जाति पिछड़ा वर्ग की क्रीमीलेयर श्रेणी के आवेदक तथा साजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग (Creamy Layer and Non-Creamy Layer)/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के आवेदक सामान्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अंतर्गत भी आवेदन करना होगा।</p>						
14.	<p>अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के पश्चात आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी का प्रिंट आवश्यक रूप से निकाल लें।</p>						
15.	<p>अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पश्चात आयोग की वेबसाइट पर Exam Dashboard का समय-समय पर अयलोकन करे क्योंकि आयोग की परीक्षाओं/भर्ती संबंधित समस्त सूचनाएँ आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित/अपलोड की जाती हैं। यूथक से सूचना/पत्र जारी मही किया जाता है।</p>						
16.	<p>आयोग द्वारा अभ्यर्थी से उक्त प्रक्रियानुसार ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के अंतिरिक्त किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार का कोई अनलाइन या ऑफलाइन/हाथ से भरा हुआ आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं किसी भी प्रकार का ऑफलाइन प्राप्तान्तर स्वीकार नहीं किया जायेगा।</p>						
17.	<p>ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन संबंधी सूचना — ऑनलाइन आवेदन Submit किये जाने के पश्चात यदि आवेदक को किसी प्रकार की त्रुटि का पता लगता है तो अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में OTR Profile में दर्शाए गये स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि व लिंग के अंतिरिक्त अन्य त्रुटि संशोधन नियमानुसार कर सकता है—</p> <ol style="list-style-type: none"> यदि कोई अभ्यर्थी अपने Online आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात एवं आवेदन-पत्र की अंतिम दिनांक के पश्चात एवं अंतिम तिथि के लिए एक लिंग के अंतिरिक्त अन्य संशोधन किये जा सकते हैं। 						
18.	<p>आयोग द्वारा प्रथम घोषित परीक्षा आयोजन की तिथि से 60 दिवस पूर्व 07 दिन के लिए ऑनलाइन एडिट हेतु विकल्प खोला जायेगा जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी को फोटो, नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि एवं लिंग के अंतिरिक्त अन्य संशोधन किये जा सकते हैं।</p> <p>Note: विकल्प नियमानुसार कर सकता है। इसके पश्चात किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन राजीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सामूहिक यायित्व अभ्यर्थी का ही होगा।</p>						
19.	<p>3. One Time Registration (OTR): लागू किये जाने के कारण ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि व लिंग के अंतिम स्तर पर कोई संशोधन नहीं होगा।</p>						
20.	<p>किसी भी प्रकार के संशोधन के पश्चात अभ्यर्थी को एस.एम.एस. के माध्यम से सूचित किया जाएगा एवं किसी भी प्रकार की त्रुटि का पता लगता है तो अभ्यर्थी के अंतिम स्तर पर अभ्यर्थी के अंतिरिक्त अन्य संशोधन किये जाते हैं।</p>						
21.	<p>यदि कोई अभ्यर्थी अपने Online आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात एवं आवेदन-पत्र की अंतिम दिनांक के पश्चात एवं अंतिम तिथि के लिए एक लिंग के अंतिरिक्त अन्य संशोधन किये जा सकते हैं। इसके पश्चात किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन राजीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सामूहिक यायित्व अभ्यर्थी का ही होगा।</p>						
22.	<p>आयोग द्वारा अभ्यर्थी से उक्त प्रक्रियानुसार ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के अंतिरिक्त किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार का कोई अनलाइन या ऑफलाइन/हाथ से भरा हुआ आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार का ऑफलाइन प्राप्तान्तर स्वीकार नहीं किया जायेगा।</p>						
23.	<p>एकवार्षीय परीक्षण शुल्क — कार्यक्रम (क-2) कियाग के परिवर्तन दिनांक 19.04.2023 के द्वारा समस्त नारी परीक्षाओं हेतु एकवार्षीय परीक्षण शुल्क निर्धारित किया गया है जो नियमानुसार है—</p> <table border="0"> <tr> <td>1. सामान्य (छानारक्षित)/पिछड़ा वर्ग की क्रीमीलेयर/अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी —</td> <td style="text-align: right;">रुपये 600/-</td> </tr> <tr> <td>2. आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग—नौन क्रीमीलेयर/अति पिछड़ा वर्ग—नौन क्रीमीलेयर/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थी —</td> <td style="text-align: right;">रुपये 400/-</td> </tr> <tr> <td>3. दिव्यांगजन —</td> <td style="text-align: right;">रुपये 400/-</td> </tr> </table> <p>नोट :-</p> <ol style="list-style-type: none"> साजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग—सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी सामान्य जाना जाएगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को लिए निर्धारित पंजीयन शुल्क देना होगा। जिन अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में दन टाईम रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है, वे अभ्यर्थी भी एसएसओ आईडी द्वारा लॉग इन द्वारा दिनांक दिनांक दिनांक दिनांक के प्रस्तुत कोई भी अंतर नहीं होगा। 	1. सामान्य (छानारक्षित)/पिछड़ा वर्ग की क्रीमीलेयर/अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी —	रुपये 600/-	2. आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग—नौन क्रीमीलेयर/अति पिछड़ा वर्ग—नौन क्रीमीलेयर/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थी —	रुपये 400/-	3. दिव्यांगजन —	रुपये 400/-
1. सामान्य (छानारक्षित)/पिछड़ा वर्ग की क्रीमीलेयर/अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी —	रुपये 600/-						
2. आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग—नौन क्रीमीलेयर/अति पिछड़ा वर्ग—नौन क्रीमीलेयर/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थी —	रुपये 400/-						
3. दिव्यांगजन —	रुपये 400/-						
24.	<p>विशेष योग्यजन/दिव्यांगजन अभ्यर्थी को श्रुतलेखक/क्षमित्पूरक समय उपलब्ध करवाये जाने के संबंध में विशेष निर्देश—</p> <ol style="list-style-type: none"> अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में विशेषज्ञ/विशेषयोग्यजन अभ्यर्थी नहीं जाने जाता तथा श्रुतलेखक संबंधी विकल्प का चयन करने के अभिप्राय यह नहीं है कि वह श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने के लिए एक वार पात्र/योग्य है। श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी को आयोग द्वारा जारी नियंत्रित की जाना किया जाता है। जिन अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में दन टाईम रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है, वे अभ्यर्थी भी एसएसओ आईडी द्वारा लॉग इन द्वारा दिनांक दिनांक दिनांक के प्रस्तुत कोई भी अंतर नहीं होगी। ऐसे विशेषज्ञ/दिव्यांगजन अभ्यर्थी जो आयोग/कन्दारीबाबा से श्रुतलेखक प्राप्त करना चाहते हैं, उन अभ्यर्थी को परीक्षा दिनांक से कम से कम एक दिवस पूर्व विशेषज्ञ/दिव्यांगजन का विकल्प का प्रस्तुत करनी होगी। The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 के Section-2(r) के तहान परिवर्तित विशेष योग्यजन (40 प्रतिशत या 40 प्रतिशत से अधिक निश्चिताता) और दृष्टिगति (Blindness), लीकोनोटर डिसेबिलिटी (दोनों हाथों की निश्चिकता—Both Arms) एवं सेरेबल पाल्सी श्रेणी वाले अभ्यर्थी द्वारा चाहने पर विशेषज्ञ का विकल्प प्रमाणण की प्रतिलिपि फैन्डारीबाबा को प्रस्तुत करनी होगी। उक्त श्रेणियों के अलावा Section-2(r) के तहान परिवर्तित अन्य श्रेणी के भाग में लेखन कार्य में असमर्पिता के संबंध में मुख्य विकल्प विशेषज्ञ/विशेषयोग्यजन के अनुमोदित प्रमाणण-पत्र (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध Appendix-C), विशेषज्ञ का विकल्प प्रमाणण-पत्र एवं श्रुतलेखक का वचन-पत्र क्रमांकित करनी होगी। 						

5. The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 के Section-2(s) के तहत परिवाप्ति विशेष योग्यजन (40 प्रतिशत से कम निःशक्तता) की श्रेणी के नामले में लेखन कार्य में असर्वता के संबंध में मुख्य विकित्सा अधिकारी/विकित्सा अधिकारी से अनुमोदित प्रमाण-पत्र (आयोग की वैक्साइट पर उपलब्ध Appendix-D) एवं दिव्यांगत का चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर श्रुतलेखक की सुविधा और/या कानिपूरक समय प्रदान किया जायेगा। ऐसे अन्यर्थियों को श्रुतलेखक की सुविधा और/या कानिपूरक समय प्राप्त करने के लिये परीक्षा दिनांक से कम से कम दो विवक्षण पूर्व समर्त पत्रों के साथ आयोग रो हास्पक करना होगा अन्यथा श्रुतलेखक की सुविधा और/या कानिपूरक समय देय नहीं होगा।
6. श्रुतलेखक के संबंध में विस्तृत निर्देशों एवं प्रमाण-पत्रों का आयोग की वैक्साइट पर उपलब्ध "Candidate Information > Important Downloads > Instructions for availing services of Scribe" के अन्तर्गत अवलोकन करें। वैक्साइट पर उपलब्ध श्रुतलेखक संबंधी निर्देशों को विज्ञापन का ही भाग/डिस्ट्री भाग जायेगा।

Scheme and syllabus of competitive examination for senior teacher

The Examination shall carry 500 marks. There will be two papers. Paper-I shall be of 200 marks and Paper-II shall be of 300 marks.

PAPER – I

- The question paper will carry maximum 200 marks.
- Duration of question paper will be 2.00 hours.
- The question paper will carry 100 questions of multiple choices.
- Paper shall include following subjects:-
 - Geographical, Historical, Cultural and general knowledge of Rajasthan.
 - Current Affairs of Rajasthan
 - General knowledge of world and India
 - Educational Psychology.
- Negative marking shall be applicable in the evaluation of answer. For every wrong answer one third of the marks prescribed for that particular question shall be deducted.

Explanation: Wrong answer shall mean an incorrect answer or multiple answers.

- The minimum qualifying marks shall be 40%. Provided that the percentage fixed as above shall be relaxed by 5% for the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिक वा आगेलन) नियम, 1988 तथा साजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 में विहित प्राक्षणानुसार भूतपूर्व सैनिकों एवं विशेष योग्यजन को न्यूनतम उत्तीर्णिकों में छट/रियायत दी जायेगी।

PAPER – II

- The question paper will carry maximum 300 marks.
- Duration of question paper will be 2 Hours 30 Minutes.
- The question paper will carry 150 questions of multiple choices.
- Negative marking shall be applicable in the evaluation of answers. For every wrong answer one third of the marks prescribed for that particular question shall be deducted.

Explanation: Wrong answer shall mean an incorrect answer or multiple answers.

- The minimum qualifying marks shall be 40%. Provided that the percentage fixed as above shall be relaxed by 5% for the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिक वा आगेलन) नियम, 1988 तथा साजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 में विहित प्राक्षणानुसार भूतपूर्व सैनिकों एवं विशेष योग्यजन को न्यूनतम उत्तीर्णिकों में छट/रियायत दी जायेगी।

- Paper shall include following subjects:-
 - Knowledge of secondary and senior secondary standard about relevant subject matter.
 - knowledge of graduation standard about relevant subject matter.
 - Teaching methods of relevant subject.

उक्त पदों डेटु आयोजित की जाने वाली परीक्षा के लिए ओप्सन्स उत्तरपत्रक में प्रश्नों के विकाल्प भरने के संबंध में विशेष निर्देश:-

- Each question has five options marked as 1, 2, 3, 4, 5. You have to darken only one circle (bubble) indicating the correct answer on the Answer Sheet using BLUE BALL POINT PEN.
- It is mandatory to fill one option for each question.
- If you are not attempting a question then you have to darken the circle '5'. If none of the five circles is darkened, one third (1/3) part of the marks of question shall be deducted.
- After solving question paper, candidate must ascertain that he/she has darkened one of the circles (bubbles) for each of the questions. Extra time of 10 minutes beyond scheduled time, is provided for this.
- A candidate who has not darkened any of the five circles in more than 10% questions shall be disqualified.

अंत महत्वपूर्ण बिन्दु/नोट :-

- अन्यर्थी Online Application Form में अपना बही मोबाइल नम्बर व ई-मेल आईडी, अकित करें जिस पर वह परीक्षा/साक्षात्कार इत्यादि संबंधी नामी सूचना SMS & E-Mail के माध्यम से आहता है। ऑनलाईन आवेदन में अकित मोबाइल नम्बर व ई-मेल आईडी, यदलने/बन्द होने/नेटवर्क समर्थ्य होने पर सूचनाएं प्राप्त नहीं होने पर अन्यर्थी की स्वर्ण की जिम्मेदारी होगी।
- अन्यर्थी यथासम्बन्ध मोबाइल नम्बर एवं पत्र व्यवहार के पते में परिवर्तन नहीं करें, यदि परिवर्तन किया जाना आवश्यक हो तो इसकी सूचना आयोग को शीघ्र में।
- आवेदक अपना ऑनलाईन आवेदन-पत्र ध्यानपूर्वक भरें। अपना ऑनलाईन आवेदन रूप से Submit करने से पूर्व उसकी समर्त प्रविष्टियों से आश्वस्त हो ले कि सभी प्रविष्टियां सही-सही भरी गई हैं। आवेदक द्वारा आवेदन में भरी गई प्रविष्टियों को ही सही मानकर आयोग द्वारा आगे की कार्यवाही की जायेगी।
- अन्यर्थी आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा में आवेदन दिनांक का इन्तजार किये जिन ऑनलाईन आवेदन करें, अन्यथा किसी प्रकार की कोई नेटवर्क समर्थ्य के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होकर अन्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- आवेदक द्वारा स्वयं/ई-मित्र/अन्य किसी स्त्रीत से ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरते/भरवाते समय किसी प्रकार की कोई गलत प्रविष्टि/मूलधन त्रुटि हो जाती है, तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। इसलिए आवेदक सर्वप्रथम ऑनलाईन आवेदन-पत्र के Preview में अपनी जाति/वर्ग/श्रेणी, आयु (जन्म दिनांक), विषय, योग्यता इत्यादि संबंधी दर्ज प्रविष्टियों की जाँच आवश्यक रूप से करने के पश्चात त्रुटि होने पर उन्हें सुधारने के पश्चात ऑनलाईन आवेदन-पत्र को Submit करें और उसका प्रिन्ट लेकर उसकी जाँच आवश्यक रूप से पुनः कर लें। अगर फिर भी कोई गलती/त्रुटि पाई जाती है, तो आयोग द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में संशोधन की उपर्युक्त निर्धारित प्रक्रिया अनुसार संशोधन आवश्यक रूप से कर लें। इसके पश्चात किसी प्रकार का कोई ऑनलाईन संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व स्वयं अन्यर्थी का ही होगा। साथ ही आवेदक को यह भी हियायत दी जाती है कि आवेदक अगर ई-मित्र अथवा अन्य स्त्रीत से आवेदन करवता है, तो आवेदक स्वयं ई-मित्र अथवा अन्य स्त्रीत पर जाकर आवेदन करवायें। ई-मित्र अथवा अन्य स्त्रीत के बोर्डे न छोड़े कि उनके द्वारा आपका ऑनलाईन आवेदन-पत्र सही-सही भर दिया होगा/जायेगा। किसी भी प्रकार की गलत सूचना भरे जाने पर आयोग अन्यर्थी को विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु स्वतंत्र होगा।
- यदि आवेदक द्वारा अपनी श्रेणी से अवेदन किया जाता है तो इसे अधिकारी का परिवाप्त गानते हुये आवेदन पत्र में संशोधन की उपर्युक्त निर्धारित अवधि के पश्चात श्रेणी में सूचारा की स्थिता/अनुमति नहीं दी जाएगी। गलत श्रेणी में आवेदन करने पर आवेदक का आवेदन-पत्र आयोग द्वारा किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकता है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। अनुसूचित जाति/अन्य प्रिछड़ा वर्ग/अति प्रिछड़ा वर्ग/आधिक रूप से कमज़ोर वर्ग/उत्तरांचल खिलाड़ी/भूतपूर्व सैनिक/अनुसूचित सेत्र/विधावा/विधिन विवाह/तलाकशुदा/परिस्थिता/विकलांगता/साज्ज कर्मचारी/गैर राजपत्रित कर्मचारी/नक्कालयिक कर्मचारी/विभागीय कर्मचारी/अन्य वर्गों के अन्यर्थी Online Application Form प्रस्तुत (Submit) करते समय अपने वर्ग का स्पष्ट रूप से उल्लेख निर्धारित कौलम में करें अन्यथा Online Application Form प्राप्ति की अनित्य दिनांक पश्चात संशोधन करने की अवधि तनापा होने के बाद वर्ग परिवर्तन नहीं किया जायेगा और ऐसे अन्यर्थीयों को जो कि उक्त वर्ग का उल्लेख नहीं करते हैं तो वर्ग विशेष का लाभ विस्तृप्ति पदों हेतु देय नहीं होकर आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में जो श्रेणी/वर्ग भरी/भरा/भरा है, उसी श्रेणी/वर्ग में ही नानकर कार्यवाही की जाएगी एवं अन्यर्थी/आवेदक द्वारा जिस श्रेणी/वर्ग में ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा है उससे न छोड़े कि उनके द्वारा आपका ऑनलाईन आवेदन-पत्र सही-सही भर दिया होगा/जायेगा।
- आवेदक जिनके ऑनलाईन आवेदन-पत्र, आवेदन-पत्र प्राप्ति की अनित्य दिनांक तक आयोग कार्यालय को पूर्ण सूचना सहित प्राप्त होगे, ऐसे आवेदकों को आयोग द्वारा उसकी उम्मीदवारी अनित्य रूप से सही मान ली गई है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन-पत्र में उल्लिखित प्रविष्टियों आयोग द्वारा सही मान ली गई है। आयोग/विभाग द्वारा आवेदकों की पात्रता की संबंधित प्रमाण-पत्र/दस्तावेज जो कि ऑनलाईन आवेदन की अतिरिक्त विविध सेवाएं देते हुए आवेदन-पत्र की प्रति नी अपलोड करनी होगी। आयोग द्वारा उम्मीदवार की पात्रता की संबंधित अन्यर्थी की होगी।
- आवेदक जिनके ऑनलाईन आवेदन-पत्र, आवेदन-पत्र प्राप्ति की अनित्य दिनांक तक आयोग कार्यालय को पूर्ण सूचना सहित प्राप्त होने के बाद वर्ग परिवर्तन नहीं करने पर आवेदक कार्यवाही की संबंधित प्रमाण-पत्र/दस्तावेज जो कि ऑनलाईन आवेदन-पत्र की प्रति नी अपलोड करनी होगी। आयोग द्वारा उम्मीदवार की पात्रता की संबंधित अन्यर्थी की होगी।

- की जीव करते समय तथा मूल प्रलेखों से पात्रता की जीव करते समय यदि आयु, शैक्षणिक योग्यता तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग/उत्कृष्ट खिलाड़ी/भूतपूर्व सैनिक/अनुसूचित बीब्र/विद्या/विचित्रन विद्याह/तलाकशुदा/परिवर्यकता/विकलागता/साज्य कर्मचारी/गैर राजपत्रित कर्मचारी/मंज़ालयिक कर्मचारी/विभागीय कर्मचारी/अन्य शर्तों की पालना नहीं करने के कारण यदि अन्यर्थी की अपात्रता का पता चलता है तो इस परीक्षा हेतु उसकी उमीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है जिसकी समस्त विमोदारी स्वयं अन्यर्थी की होगी।
8. नहीं परीक्षा में अन्यर्थी रूप से रफ़त प्राप्ति होने के उपरान्त आयोग द्वारा अन्यर्थी को ऑनलाइन विस्तृत आवेदन पत्र मरे जाने हेतु निर्धारित समयावधि के लिए लिंक द्वारा जायेगा। निर्धारित समयावधि वे उपरान्त यह लिंक स्वयं ही निर्धारित हो जायेगा। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का ऑनलाइन/ऑफलाइन विस्तृत आवेदन पत्र रद्दीकार नहीं किया जायेगा एवं अन्यर्थी की अन्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी, जिसकी समस्त विमोदारी अन्यर्थी की होगी।
 9. माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा D.B.S.P. Special Appeal Writ No. 1631/2017 आरपीएससी बनान प्रियंका जीन व अन्य के प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 01.11.2017 के अनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अतिम दिनांक के पश्चात पुनर्विद्याह कर लिया जाता है तो भी उसे विद्या/विचित्रन विद्याह/तलाकशुदा वर्ग में आवेदित महिला द्वारा आवेदन पत्र प्राप्ति की अतिम दिनांक के पश्चात पुनर्विद्याह कर लिया जाता है तो उसे विद्या/विचित्रन विद्याह/तलाकशुदा/परिवर्यकता वर्ग का लाभ दिया जायेगा।
 10. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने एवं ब्रुटि स्थापान अवधि के पश्चात् कोई अन्यर्थी आकारिक रूप से विद्या/विचित्रन विद्याह/तलाकशुदा/परिवर्यकता वर्ग परीक्षा/साक्षात्कार के अतिम परिणाम से पूर्व वर्ग परिवर्तन के लिए आवेदन करना होगा जिसके लिए उसे विद्या हेतु आयास-वार्ड, भूत्यु प्रमाण-पत्र, लिंक दस्तावेज़ (यथा – राशन कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, परी के नाम से गूल निवास प्रमाण पत्र इत्यादि) तथा विद्याग हेतु निश्चितता प्रमाण-पत्र नय 500/- रुपये का ऑनलाइन शुल्क भुगतान कर उसकी प्राप्ति रसीद प्रस्तुत करने पर ही परिवर्तन इच्छाकारी होगा। किसी परीक्षा के एक से अधिक वर्षण होने पर प्रधम वर्षण की परीक्षा उपरान्त अन्यर्थी विद्या/विद्याग होता है तो वर्ग परिवर्तन का लाभ आने वाले परिणाम में ही देय होगा, परन्तु पूर्व के परिणाम को इस आधार पर रियु/पुनर्वलोकन नहीं किया जायेगा।
 11. विचित्रन विद्याह/तलाकशुदा/परिवर्यकता महिला अन्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अतिम दिनांक तक विद्या के अन्य समान न्यायालय द्वारा पारित न्यायालय की डिक्री (माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर ने DBSA No. 72/2022 के निर्णयानुसार) प्रस्तुत करने पर ही आवेदन का लाभ प्रदान किया जाएगा। परिवर्यकता/तलाकशुदा/विद्याह विचित्रन आवेदक का तलाक सम्बन्धी प्रकारण/वाद माननीय न्यायालय में विद्याशीधीन/लक्षित है एवं किसी ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अतिम दिनांक तक पारित नहीं हुई है तो परिवर्यकता/विद्याह विचित्रन/तलाकशुदा श्रेणी/वर्ग का लाभ देय नहीं होगा।
 12. विचित्रन विद्याह/तलाकशुदा/परिवर्यकता श्रेणी की महिला को ऑनलाइन आवेदन की अतिम दिनांक तक एवं विद्या महिला को आवेदन की अतिम तिथि तक अध्ययन प्रियंका के द्वारा वर्ग में अध्ययन करने पर उसे वर्ग/श्रेणी संशोधन की दिनांक तक पुनर्विद्याह नहीं किये जाने संभवी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
 13. आवेदक उक्त पद हेतु तभी आवेदन करें जब वह उक्त पद हेतु विज्ञापन में निर्धारित निम्न व उच्च आयु सीमा के अन्तर्गत वाइट शीक्षणिक योग्यता एवं अनुभव से संबंधित सम्पूर्ण मानदण्ड/मापदण्ड पूर्ण करता हो। विज्ञापन में दी गई विज्ञापन में उल्लिखित अनुसार शीक्षणिक/प्रशिक्षणिक योग्यता एवं अनुभव प्रमाण-पत्र होने पर ही पात्र माना जायेगा अन्यथा अपात्र माना जायेगा।
 14. आवेदक को इस विज्ञापन में दी गई आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की कोई निम्नतम आयु एवं अधिकातम आयु संबंधी छूट नहीं दी जायेगी।
 15. परीक्षार्थियों में इ-प्रवेश-पत्र पर उल्लिखित दस्तावेज दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।
 16. परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र/ओ.एम.आर. पत्रक/उत्तर पुस्तिका में अकिञ्चित दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा दिया जाना आवश्यक होगा, परीक्षार्थी द्वारा दिशा-निर्देशों को अनुसार कार्यवाही नहीं किये जाने पर प्रश्न पत्र/ओ.एम.आर. पत्रक/उत्तर पुस्तिका में किसी प्रकार की गलती/ब्रुटि के लिए परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
 17. प्रश्न-पत्र में ब्रुटि होने अध्यया एक से अधिक उत्तर गलत/सही होने अध्यया उत्तर कुंजी में गलती/ब्रुटि अध्यया प्रश्नोत्तर के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग के विषय विशेषज्ञों के पैनल द्वारा तैयार की गई अनिम्न उत्तर कुंजी के अधार पर उपर्युक्त अध्यया परिणाम को मानने का आयोग को स्वाक्षिकार होगा, जो सभी अन्यर्थीयों को स्वीकार्य होगा। उसमें किसी प्रकार का कोई वाद-विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।
 18. परीक्षार्थी द्वारा केन्द्राधीनिक/अभिजागर/आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारी या कमीशारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्यतः पालन नहीं करने/परीक्षा बैन्ड पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपयोग करने पर परीक्षार्थी के विरुद्ध आयोग/केन्द्राधीनिक जो भी उचित समझे सामूहिक कार्यकारी कर सकता है साथ ही परीक्षार्थी के विरुद्ध राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (सभी में अनुचित साधनों की सेक्षणाम के आयुपात्र) अधिनियम, 2022 के अनुसार आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
 19. यदि किसी अन्यर्थी/परीक्षार्थी को आयोग/संघ लोक सेवा आयोग/अन्य सर्वोत्तम एजेन्सियों की किसी भी मर्ती/परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग/उपयोग या अनुचित/अनद्र व्यवहार के लिए भावित वर्गीयों/साक्षात्कारी आदि वे विवर्जित (Debar) किया जाये हैं, तो उसे आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं/साक्षात्कार में समिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं दी जायेगी।
 20. राज्य कर्मचारी को देय लाभ यथा आयुसीमा में छूट, आधार इत्यादि के लिए राजस्थान साज्य के कर्मचारियों को ही प्राप्त है। अन्य साज्य के कर्मचारी या बैन्ड सेवा के कर्मचारी सामान्य अन्यर्थी ही माने जायेंगे, उन्हें उक्त लाभ नहीं दिया जायेगा।

प्रमाण-पत्रों का स्वत्वापन :-

- आवेदक को वर्ग प्रियंक (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग/उत्कृष्ट खिलाड़ी/भूतपूर्व सैनिक/अनुसूचित श्रेणी/विद्या/विचित्रन विद्याह/तलाकशुदा/परिवर्यकता/विकलागता/साप्त कर्मचारी/मंज़ालयिक कर्मचारी/विभागीय कर्मचारी/अन्य) का सामन तब ही देय होना चाहिए परीक्षा/मुख्य परीक्षा/संवीकारी परीक्षा में उसकी पात्रता की जीव में दस्तावेज सही पाये गए हों। अतः प्रत्रता की जीव हेतु नियमितिःपूर्व दस्तावेज़ दस्तावेज़ प्रस्तुत करना सुनिश्चित करना जावें :-
1. कार्मिक (क-2) दिनांक के परिपत्र दिनांक 20.01.2022 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग/उत्कृष्ट खिलाड़ी/भूतपूर्व सैनिक/अनुसूचित श्रेणी को आरक्षण की अन्यर्थीयों को आवेदन का लाभ देने हेतु जाति प्रमाण-पत्र ऑनलाइन आवेदन की अतिम तिथि तक जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा तथा अन्यर्थीयों को आवेदन की अतिम तिथि तक जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा तथा यह आवेदन की अतिम तिथि को संबंधित वर्ग की पात्रता रखता था तथा यह सूचना गलत पाये जाने पर उसकी नियुक्ति निरस्त करना जावें।
 2. पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के प्रमाण-पत्र में नियमानुसार तैयार की गई अनिम्न उत्तर कुंजी के अधार पर उपर्युक्त अध्यया परिणाम को मानने का आयोग को स्वाक्षिकार होगा, जो सभी अन्यर्थीयों को स्वीकार्य होगा।
 3. राजस्थान साज्य के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के अधिकारी के विवादित वर्गीयों/साक्षात्कारी आदि वे विवर्जित (Debar) किया जाये हैं, तो उसे आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं/साक्षात्कार में समिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं दी जायेगी।
 4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। पत्रि के नाम, नियास स्थान व आय के अधार पर जारी जाति प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
 5. राजस्थान साज्य के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के अधिकारी के आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अतः ऐसे अन्यर्थीयों को Online Application Form में सामान्य वर्ग के आवेदक के रूप में आवेदन करना होगा।
 6. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रमाण-पत्र विवर्जित प्रस्तुत आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देय नहीं होगा।
 7. अन्यर्थीयों को आवेदन की अतिम दिनांक तक प्रवर्ग का लाभ देने हेतु अपने प्रियंका दिवास स्थान के आधार पर साक्षम अधिकारी द्वारा विद्याहित प्रारूप में नियमानुसार जारी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। पत्रि के नाम, नियास स्थान व आय के अधार पर जारी जाति प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
 8. अन्यर्थीयों को आवेदन की अतिम दिनांक तक प्रवर्ग का लाभ देने हेतु अपनी प्रेसन 22.12.2020 के अनुसार कोई व्यक्ति जो अपनी प्रेसन अधिकृत प्रवर्ग के प्रवर्गात्मक सामान्य अधिकृत प्रवर्ग के प्रवर्गात्मक के लिए भी आवेदन करने वाली महिला आवेदक के पास पति का कोई अधिकृत व्यक्ति नहीं होना चाहिए। अधिकृत होना आवश्यक है तथा यह आवेदन की अतिम दिनांक तक जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा तथा यह सूचना गलत पाये जाने पर उसकी नियमितिःपूर्व दस्तावेज़ दस्तावेज़ प्रस्तुत करना जावें।
 9. शीक्षणिक/प्रशिक्षणिक योग्यता/अनुभव आवेदन की अतिम दिनांक तक (जो भी विज्ञापन में उल्लिखित हो) अधिकृत होना आवश्यक है तथा शेष साप्त कर्मचारी द्वारा नियमानुसार जारी जाति प्रमाण-पत्र विवर्जित प्रस्तुत आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देय नहीं होगा।
 10. शीक्षणिक/प्रशिक्षणिक योग्यता/अनुभव आवेदन की अतिम दिनांक तक जारी किया हुआ प्रस्तुत करने वाली महिला आवेदक के पास पति का कोई भूतपूर्व सैनिक/प्रामाण-पत्र विज्ञापन में उल्लिखित होना चाहिए। अतः ऐसे प्रकार परिवर्यकता/तलाकशुदा/विद्या/विचित्रन श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला आवेदक के पास माननीय न्यायालय द्वारा पारित तलाक सम्बन्धी डिक्री (माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में DBSA No. 72/2022 के नियमानुसार) ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अतिम दिनांक तक प्राप्त होना आवश्यक है, अन्यथा परिवर्यकता/विवर्जित होना चाहिए। कार्मिक (क-4/2) दिनांक के पत्र दिनांक 19.07.2021 के अनुसार अनापाति प्रमाण-पत्र के आधार पर आवेदन किये जाने के पश्चात सेवानिवृत्ति के प्रमाण का प्रस्तुतिकरण के लिए 01 वर्ष की अवधि की गणना आवेदन पत्र की अतिम तिथि से की जायेगी। साथ ही यदि किसी भूतपूर्व सैनिक/प्रामाण-पत्र के लिए आवेदन करने के लिए अनुचित किया जायेगा। कार्मिक (क-4/2) दिनांक के पत्र दिनांक 19.07.2021 के अनुसार अनापाति प्रमाण-पत्र के आधार पर आवेदन किये जाने के पश्चात सेवानिवृत्ति के प्रमाण का प्रस्तुतिकरण के लिए 01 वर्ष की अवधि की गणना आवेदन पत्र की अतिम तिथि से की जायेगी। साथ ही यदि किसी भूतपूर्व सैनिक/प्रामाण-पत्र के लिए आवेदन करने के लिए अनुचित किया जायेगा। कार्मिक (क-4/2) दिनांक के पत्र दिनांक 19.07.2021 के अनुसार अनापाति प्रमाण-पत्र के आधार पर आवेदन किये जाने के पश्चात सेवानिवृत्ति के प्रमाण का प्रस्तुतिकरण के लिए 01 वर्ष की अवधि की गणना आवेदन पत्र की अतिम तिथि से की जायेगी। साथ ही यदि किसी भूतपूर्व सैनिक/प्रामाण-पत्र के लिए आवेदन करने के लिए अनुचित किया जायेगा।

सरकार की अधीन नियोजन बहुण करने के बद्दात किसी व्यक्ति को एक सिविल कर्मचारी माना जायेगा। परन्तु भौती भर्ती की दस्ता में जहाँ किसी भी घट के लिए किसी नियोजन बहुण करने का अनुबंध अनिवार्य है, भूतपूर्व सैनिक को कोवल इस कारण से कि वह सरकारी सेवा में गिरी नियन्त्रित पद, प्रिसका अनुबंध उच्चतर पद पर रोटी भर्ती के लिए अप्रीत है, पर नियोजित है, भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवरित नहीं किया जायेगा। परन्तु यह और कि यदि कोई भूतपूर्व सैनिक राजस्थान सरकार के अधीन किसी नियोजन को बहुण करने से पूर्ण विभिन्न पदों के लिए आवेदन करता है और संबंधित नियोजक को राजस्थान सरकार के अधीन नियन्त्रित पद जिनके लिए उसने आवेदन किया है, के लिए आवेदन की तारीख-दर व्यौरों के बारे में कोई स्पष्ट धोषण पत्र/दस्तावेज देता है तो ऐसे पर्याप्त पर नियुक्ति की जिए उसे भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवरित नहीं किया जायेगा। परन्तु यह और भी कि भूतपूर्व सैनिक जिसे राजस्थान सरकार के अधीन नियन्त्रित/सैनिक/उच्चायी/तदर्शी अधीकार पर पुनर्नियोजित किया गया है को भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवरित नहीं किया जायेगा। 'कार्मिक (क-2) विभाग' की अधिसूचना दिनांक 01.08.2021 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवाएँ (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिकों को देय लाभ, राजस्थान राज्य के मूल नियाली भूतपूर्व सैनिकों को ही देय है।'

9. शासन के परिषद् क्रमांक प.४(१९)गृह-१३/२००६ दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिषद् के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह मंजीर्यन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्सम्बन्धी विवाह प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना बाधनीय होगा।
10. ऐसा कोई भी अध्यक्षी जिसकी 01.06.2002 को या उससे परवान थी से अधिक बच्चों/सन्तान हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा, परन्तु वो से अधिक बच्चों/सन्तानों बाले किए भी आवेदक जो नियुक्ति के लिए तब तक नियुक्ति नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यान उसके बच्चों/सन्तानों की संख्या में बढ़ोतारी नहीं होती है, परन्तु यह और कि जहाँ किसी आवेदक के पूर्युतर प्रश्न से कोवल एक बच्चों/सन्तान है, किन्तु किसी एक प्रश्नात्मकी प्रश्न से एक से अधिक बच्चों/सन्तानों पैदा होती है, वही बच्चों/सन्तानों की कुल संख्या जी गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई लम्जा जाएगा। परन्तु यह भी कि किसी आवेदक की संतानों की कुल संख्या की सण्ठना करते समय ऐसी संतान की, जो गृहीतर प्रलव से पैदा हुई ही और नियुक्ति हो, गणना नहीं की जाएगी। परन्तु यह भी कि ऐसा कोई अध्यक्षी जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी के विलम्ब नहीं है और वह ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व इस उपनियम के अन्तर्गत नियुक्ति के लिए नियुक्ति नहीं है तो उसे नियुक्ति नहीं किया जाएगा। तत्सम्बन्धी रापाध-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना बाधनीय होगा।
11. आवेदक को विज्ञापन में उल्लेखानुसार आवश्यक दाढ़ित शैक्षणिक वोग्यता व अनुबंध प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
12. विविधन विवाह/तलाकशुदा/परिवर्त्यका श्रेणी की महिला को अनेलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक तक एवं विवाह महिला को आवेदन की अंतिम दिनांक तक अथवा विवाह के द्वारा वर्ग/श्रेणी संशोधन करने पर उसे वर्ग/श्रेणी संशोधन की दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किये जाने संक्षी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
13. आवेदक को अंतिम रौद्राणिक संख्या का चरित्र प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें चरित्र के सम्बन्ध में कम से कम "अच्छा" का चलाएँ/अकिल होना आवश्यक होगा।
14. आवेदक को बधान उपरान्त आधारण सम्बन्धी पुलिस सत्यापन प्रमाण-पत्र यथा समय नियुक्ति प्राप्तिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें आवेदक के खिलाफ ऐसी किसी आपराधिक घारा का उल्लेख नहीं होना चाहिये जिससे राज्य सेवा में नियुक्ति में काला/समस्या उत्पन्न हो। साथ ही किसी आपराधिक प्रकरण में दोषसिद्ध होने पर प्रकरण/दाव न्यायिक रूप से विचाराधीन होने पर नियुक्ति हेतु अपाव्र होगा।
15. आवेदक को बधान उपरान्त ज्ञान प्राप्तिकारी द्वारा जारी विविता जींघ सम्बन्धी विकित्ता प्रमाण-पत्र यथा समय नियुक्ति प्राप्तिकारी की प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, कि आवेदक पूर्णसूची से स्वतंत्र है एवं राज्य सेवा के लिए पूर्णतः उपयुक्त है।
16. आवेदक जो पहले से ही सरकारी सेवा यथा कैन्फ्रीय/राज्य/सरकारी उपकरणों में नियुक्त है एवं उनका बधान उक्त पदों हेतु भर्ती में हो गया है, उन्हें आपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
17. अध्यक्षी की पात्रता के संबंध में लंबवित सेवा नियम के अनुसार आयोग का नियर्य अंतिम होगा।

आवेदन-पत्र में गलत/क्रूटिपूर्ण सूचना/अपूर्ण आवेदन-पत्र नहीं भरने के सम्बन्ध में विवेच निर्देश :-

अम्बरी अनेलाईन आवेदन-पत्र भरने से यह एक्षालिय पंजीयन शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए अधिकारी की वार्ता विवाह प्रमाण पत्रों से संबंधित आवेदन-पत्र व परीक्षा रांकें सामान्य दिशा-निर्देश तथा सम्बन्धित सेवा नियमों का अध्ययन आवश्यक है और भरने पर आवेदक का आवेदन-पत्र रद्द कर दिया जायेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी तथा गलत/क्रूटिपूर्ण सूचना या अपूर्ण आवेदन-पत्र भरने पर आवेदक का आवेदन-पत्र रद्द कर दिया जायेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी तथा गलत/क्रूटिपूर्ण सूचना या अपूर्ण आवेदन-पत्र के तुमार हेतु व्यक्तिशः/ऑफलाईन प्राप्तना-पत्र/पत्र-व्यवहार इत्यादि स्वीकार नहीं किया जाएगा। चूंकि अध्यक्षी द्वारा अध्यक्षी की पात्रता की जांच सम्बन्धित भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी होने के बधान अस्थाई रूप से व्यवहित अध्यक्षी द्वारा प्रस्तुत विवर आवेदन-पत्र से पूर्ण न होने के लिए गये अनेलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई सूचना के अलावा पर की जाती है, इसलिए अनेलाईन आवेदन पत्र में भरी गई सूचना को जारी रखना अपूर्ण सूचना भर्ती है, तो अध्यक्षी का चालन रद्द करने का अधिकार अध्यक्षी की होगी जिसके सम्बन्ध में अध्यक्षी को कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा।

विवेच भौति :-

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि आयोग द्वारा उक्त विज्ञापन में विवाह पद हेतु समलैंगिक विवाह की जाचुकी है अगर फिर भी आवेदक/ई-मित्र/अन्य स्वेच्छा द्वारा भरे गये अनेलाईन आवेदन-पत्र में किसी प्रकार की कोई गलती/क्रूटि/लोप/अपूर्ण सूचना रह जाती है एवं उपर्युक्त निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अध्यक्षी द्वारा अनेलाईन आवेदन-पत्र में भरी गये नियमों के बधान अवश्यक है इसके लिए उपर्युक्त निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अध्यक्षी द्वारा अनेलाईन आवेदन-पत्र में भरी गये नियमों के बधान अवश्यक है इसके लिए उपर्युक्त निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अध्यक्षी द्वारा अनेलाईन आवेदन-पत्र पर विवेच जाता है।

अन्य बिन्दु व सूचना :- एककारीय पंजीयन शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए अधिकारी की वार्ता विवाह प्रमाण पत्रों से संबंधित आवेदन-पत्र व परीक्षा रांकें सामान्य दिशा-निर्देश तथा सम्बन्धित सेवा नियमों का अध्ययन आवश्यक है और भरने पर आवेदक का आवेदन-पत्र रद्द कर दिया जायेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी तथा गलत/क्रूटिपूर्ण सूचना या अपूर्ण आवेदन-पत्र के तुमार हेतु व्यक्तिशः/ऑफलाईन प्राप्तना-पत्र/पत्र-व्यवहार इत्यादि स्वीकार नहीं किया जाएगा। चूंकि अध्यक्षी द्वारा अध्यक्षी की पात्रता की जांच सम्बन्धित भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी होने के बधान अस्थाई रूप से व्यवहित अध्यक्षी द्वारा प्रस्तुत विवर आवेदन-पत्र से पूर्ण न होने के लिए गये अनेलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई सूचना के अलावा रद्द कर दिया जायेगा और अध्यक्षी को कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा।

(रामनिवास महता)
11/2/24
सचिव